संख्या–आरएफ. 331 /नौ–9–2015–47आर.एफ/12

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,देवां,
जनपद–बाराबंकी।

लखनऊ : दिनॉक 21 अप्रैल, 2015

नगर विकास अनुभाग–9

,विषय–'वित्तीय वर्ष 2015–16 में नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधॉाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में नया सवेरा नगर विकास योजना में प्राविधानित धनराशि से नगर पंचायत, देवां, जनपद–बाराबंकी के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइट हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन कुल लागत रू0 2,26,49,500/–(रूपये दो करोड़ छब्बीस लाख उन्चास हजार पॉच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि **रू0 1,13,24,750/–(रूपये एक करोड़ तेरह लाख चौबीस हजार सात सौ पचास मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)– यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2)– स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3)– योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के निमित्त कोई सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा। उक्त कार्यो हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान, आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(5)– प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6)– धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश दिनांक 19.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8)– स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनापरान्त किया जायेगा।

(9)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(10)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् **"नया सवेरा नगर विकास योजना"** का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। **कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।**

(11)– उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निकाय द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(12)– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13)– वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/ वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(14)– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान की संख्या–37 के **लेखाशीर्षक–"6215–जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज– आयोजनागत–02–मल–जल तथा सफाई–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता–04–नया सवेरा नगर विकास योजना–30–निवेश/ऋण"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या– आरएफ. 331 (1)/नौ–9–2015 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. कोषाधिकारी,बाराबंकी।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत,देवां,जनपद–बाराबंकी।
8. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-21/04/2015

प्रेषण संख्या:- RF331

आवंटन आदेश संख्या:- 001-RF331-9-9-2015-47RF-12

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके

04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बाराबंकी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11324750 36111750	11324750 36111750
	योग	वर्तमान प्रगामी	11324750 36111750	11324750 36111750

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तेरह लाख चौबीस हजार सात सौ पचास

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इकसठ लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव